| PUBLICATION NAME : | Gujarat Vaibhav |
| --- | --- |
| EDITION : | Ahmedabad |
| DATE : | 30/11/23 |
| PAGE : | 12 |

# छात्रों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 40,000 रु. की सहायता दी जाएगी: ऋषिकेश पटेल

## छात्रों को अपना कौशल दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराए जाएंगे

## छात्र उद्यमिता नीति के लिए 500 नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे

## ईडीआईआई ने किया उच्च शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

**गांधीनगर।** उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की विशेष उपस्थिति में गांधीनगर में छात्र उद्यमिता नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जिसमें कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 40,000 रु. का भुगतान किया जाएगा। साथ ही शुरुआती चरण में करीब 500 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और करीब 2,000 छात्र लाभान्वित होंगे. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने छात्र उद्यमिता नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर गुजरात सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री रुशिकेश पटेल, प्रमुख सचिव, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार मुकेश कुमार, उच्च शिक्षा निदेशक, गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। गुजरात परिमल पंड्या और ईडीआईआई के महानिदेशक डॉ. सुनील शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। यह नीति छात्रों को अपने रचनात्मक विचारों और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी और उन्हें भविष्य के उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। राज्य सरकार ने राज्य सरकार के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त कला, विज्ञान, वाणिज्य, बी.एड, लॉ कॉलेजों और ग्राम्य विद्यापीठों में अध्ययनरत छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए छांत्र उद्यमिता नीति लागू की है। ईडीआईआई संसाधन व्यक्तियों (उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए संकाय सलाहकार) का एक कैडर तैयार करके, छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करके, उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण देकर नीति को लागू करेगा।

gujaratvaibhav.com